

समाचार
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना
29 नवम्बर को 05 वार्डों में पहुंचेगी मोबाईल मेडिकल यूनिट
(अभी तक 2268 लोगों की हुई निःशुल्क जांच एवं इलाज)



कोरबा 28 नवम्बर 2020 –छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत श्रमिकों की निःशुल्क जांच एवं उनका मुफ्त इलाज करने के लिए 29 नवम्बर को वार्ड क्र. 07, 37, 50, 57 एवं 65 में मोबाईल मेडिकल यूनिट पहुंचेगी तथा प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जांच एवं इलाज करेगी। योजना के अंतर्गत अभी तक 45 स्थानों पर शिविर लगाकर 2268 लोगों की निःशुल्क जांच की गई एवं उनका मुफ्त में इलाज किया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी बस्ती घर एवं दुवार पहुंचकर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, उनकी जांच एवं विभिन्न बीमारियों का इलाज व दवाईयां उपलब्ध कराने हेतु जनकल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना कियान्वित की गई है। योजना के तहत डाक्टर, नर्स तथा अन्य मेडिकल स्टाफ व दवाईयों के साथ मोबाईल मेडिकल यूनिट स्लम क्षेत्रों में पहुंच रही है तथा वहां के निवासियों की निःशुल्क जांच व विभिन्न बीमारियों का इलाज कर रही है। नगर निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत विगत 06 नवम्बर से मोबाईल मेडिकल यूनिट निर्धारित कार्यक्रम के तहत वार्डों एवं बस्तियों में पहुंच रही है, इस कड़ी में अभी तक 45 शिविरों के माध्यम से 2268 व्यक्तियों की निःशुल्क जांच एवं उनकी विभिन्न बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है।

रविवार को इन स्थानों पर पहुंचेगी मेडिकल यूनिट— निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 नवम्बर 2020 रविवार को वार्ड क्र. 07 गोकुलगंज कुष्ठआश्रम मोतीसागरपारा कोरबा, वार्ड क्र. 37 पुराना गुरुघासीदास चौक पाड़ीमार नम्बर-02, वार्ड क्र. 50 सांस्कृतिक मंच नवधा चौक शक्तिनगर क्र. 02 दर्री, वार्ड क्र. 57 सामुदायिक भवन प्रेमनगर तथा वार्ड क्र. 65 सामुदायिक भवन बांकी 04 नम्बर दफाई बांकीमोंगरा में मोबाईल मेडिकल यूनिट पूरे साजो-सामान के साथ पहुंचेगी तथा लोगों की निःशुल्क जांच एवं उनकी बीमारियों का मुफ्त में इलाज करेगी।

योजना के तहत हो रहा श्रमिकों का पंजीयन— मोबाइल मेडिकल यूनिट के साथ श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी शिविर में उपस्थित रहते हैं, जो स्लम क्षेत्र में निवासरत लोगों का योजना के तहत पंजीयन कर रहे हैं। जांच एवं इलाज हेतु स्लम क्षेत्र में निवासरत श्रमिक जिनका संगठित एवं असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन है, वे अपना श्रमिक कार्ड साथ में ला रहे हैं। जिनका पंजीयन नहीं है, ऐसे श्रमिक अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं एक फोटोग्राफ्स साथ में लाते हैं तथा उनका पात्रता अनुसार पंजीयन किया जाता है। परिवार में किसी एक सदस्य का पंजीयन होने के बाद परिवार के सभी सदस्य इसका लाभ ले सकेंगे एवं इलाज करा सकेंगे। एक बार पंजीयन होने के बाद दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।